न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या– 126/2014–15 अन्तर्गत धारा–219 भू–राजस्व अधिनियम

रीजन एजुकेशनल सोसायटी पंजीकृत कार्यालय सिंहनीवाला द्वारा अपने सचिव श्री अजय कुमार सिंह पुत्र श्री सुनील कुमार निवासी–बी 301 पैसिफिक स्टेट, इन्दिरानगर, देहरादून

बनाम

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कलेक्टर, देहरादून व अन्य

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री प्रेमचन्द शर्मा।

अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता : श्री विनोद कुमार डिमरी, जिला शासकीय अधि0(रा0)

निर्णय

यह निगरानी रीजन एजुकेशनल सोसायटी, सिंहनीवाला उपरोक्त द्वारा उप जिलाधिकारी, विकासनगर, जनपद–देहरादून के आदेश पत्रांक–396/एस0टी0–2015 दिनांक 04 अप्रैल, 2015 जिसके अधीन ग्राम सभा की भूमि खसरा नम्बरान–228/0.015 है0, 229ग/0.040 है0, 231क/0.020 है0/236ख/0.005 है0, 248च/0.073 है0, 254ग मि0/0.202 है0, बंजर झाड़ी खाते के तथा खसरा नं0–230क/0.030है0, 235ख मि0/0.007 है0, 236ग/0.010 है0, 237ग/0.02 है0, 238क/0.010 है0, 240ख/0.058 है0, 248क/0.038 है0 गूल के खाते की खसरा नं0–232ख/0.040 है0 नदी खाते की तथा खसरा नं0–248ड़ मि0/0.315 है0 तथा खसरा नं0–231ख/0.030 है0, 233/0.020 है0 आसामी पट्टेदारों की पर निगरानीकर्ता संस्था द्वारा किये गये अवैध अध्यासन को एक सप्ताह के अन्तर्गत हटाये जाने विषयक है, के विरूद्ध इस आशय से संस्थित की गई है, कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि एवं तथ्यों के विपरीत अपने क्षेत्राधिकार के परे एवं स्वंय में निहित क्षेत्राधिकार को प्रयोग किये बिना पारित किया है क्योंकि निगरानीकर्ता संस्था द्वारा नियमानुसार शासन से अनुमति प्राप्त कर अपनी संस्था के लिए ग्राम–शीशमबाड़ा में विभिन्न खसरा नम्बरों से खाता नं0–00453 से कुल रकवा–1.4840 है0, खाता नं0–00329 से 1.7910 है0, खाता नं0–00332 से 0.3040 है0, खाता नं0–00132 से 0.3960 है0, खाता नं0–00071 से 0.5390 है0 भूमि क्रय की गई है एवं नियमानुसार दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण से अपना विद्यालय का भवन स्वीकृत करवा कर उसे बनाया गया और शासन से भी भूमि का भू–उपयोग परिवर्तित नियमानुसार करवाया गया है निगरानी के अनुसार निगरानीकर्ता संस्थान द्वारा तत्कालीन परगनाधिकारी, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं हल्का लेखपालों से भूमि का चिन्हिकरण कर उसकी चारदीवारी करवायी गयी तथा वाद संख्या–21/2012–13 दिनांक 25–09–2013 को सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर, देहरादून से धारा 143 ज0वि0अ0अधि0 के अन्तर्गत जो भूमि चारदीवारी के अन्तर्गत निहित थी, को नियमानुसार अकृषित घोषित करवाया गया और उसका राजस्व अभिलेखों में भी नियमानुसार विधिवत् नामान्तरण हुआ है एवं तद्नुसार निगरानीकर्ता की शेष भूमि आज भी शासन के आदेशानुसार सामुदायिक शैक्षणिक भू–उपयोग के अन्तर्गत परिवर्तित है।

यह कि जिस समय धारा 143 के अन्तर्गत उक्त वर्णित भूमि को विद्यालय के प्रयोग में आने के कारण अकृषक घोषित करवाया गया तो उस समय भी उक्त समस्त भूमि

248, (आंशिक), 249(आंशिक), 254(आंशिक), जो कालेज की चारदीवार के अन्दर कब्जे में हैं। उक्त खसरा नम्बरान के अन्दर कालेज/संस्था की नाम की भूमि के अतिरिक्त ग्राम सभा की भूमि खसरा नं0खसरा नम्बरान–228/0.015 है0, 229ग/0.040 है0, 231क/0.020 है0/236ख/0.005 है0, 248च/0.073 है0, 254ग मि0/0.202 है0, बंजर झाड़ी खाते के तथा खसरा नं0–230क/0.030है0, 235ख मि0/0.007 है0, 236ग/0.010 है0, 237ग/0.02 है0, 238क/0.010 है0, 240ख/0.058 है0, 248क/0.038 है0 गूल के खाते के खसरा नं0–232ख/0.040 है0 नदी खाते पर तथा खसरा नं0–248ड़ मि0/0.315 है0 तथा खसरा नं0–231ख/0.030 है0, 233/0.020 है0 आसामी पट्टेदारों की भूमि पर उक्त संस्था का कब्जा पाया गया है। उक्त आख्या पर तहसीलदार, विकासनगर ने अपनी अभ्युक्ति दिनांक 25–03–2015 इस प्रकार अंकित की है:– **'' अवलोकन करने पर पाया गया कि आख्या में कथित सोसायटी के नाम पर कुल भूमि का उल्लेख नही किया गया है व मिलजुमला खसरा नम्बरान होने से शजरा में प्रदर्शित किया जाना आवश्यक है ताकि स्पष्ट किया जा सके कि ग्राम समाज/सरकारी भूमि पर सोसायटी का कब्जा किस स्थान पर है। रिपोर्ट में शजरे की प्रति संलग्न न होने से आख्या अधूरी है। पुनः शजरे की प्रति सहित आख्या तलब करने हेतु, आख्या सेवा में प्रेषित''**

इस न्यायालय से भी तत्कालीन उप जिलाधिकारी, श्री प्रकाशचन्द दुम्का से स्थिति स्पष्ट करने के लिए पत्र दिनांक 01–04–2015 और 25–05–2015 प्रेषित किये गये। श्री दुम्का तत्कालीन उप जिलाधिकारी, विकासनगर वर्तमान सचिव, एम0डी0डी0ए0, देहरादून ने अपने स्पष्टीकरण दिनांक 23–06–2015 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि सम्बन्धित राजस्व निरीक्षकों/तहसीलदार से प्राप्त आख्या के संदर्भ में उनके द्वारा दिनांक 04–04–2015 को पत्रांक संख्या–396/एस0टी0–2015 से, तहसीलदार, विकासनगर को मात्र इस आशय से निर्देशित किया गया है कि आसामी पट्टेदारों व राज्य सरकार की भूमि के संदर्भ में अवैध कब्जा हटाने के लिए नियमानुसार कार्यवाही की जाए। पट्टेदारों की भूमि पर अवैध अध्यासन व राज्य सरकार की भूमि पर अवैध अध्यासन के सम्बन्ध में धारा–122ख उ0प्र0जमीं0वि0अधि0 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु तहसीलदार , विकासनगर को लिखा गया था उनके स्तर से कोई न्यायिक आदेश पारित नही किया गया है। दिनांक 04–04–2015 का पत्र जो तहसीलदार, विकासनगर को लिखा गया है वह अवैध अध्यासन की कार्यवाही के संदर्भ में प्रारम्भ की जाने वाली न्यायिक कार्यवाही से सम्बन्धित प्रशासनिक कार्यवाही है।

मैंने निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं जिला शासकीय अधिवक्ता, राजस्व को सुना एवं उपलब्ध अभिलेखों का अध्ययन किया।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि आक्षेपित आदेश पारित किए जाने से पूर्व निगरानीकर्ता को विधिवत सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया एवं यह स्पष्ट नहीं है कि विद्वान उप जिलाधिकारी ने किस शक्ति का प्रयोग कर आक्षेपित आदेश पारित किया है। उनके अनुसार निगरानीकर्ता द्वारा कोई अवैध कब्जा नहीं किया गया है अतः आक्षेपित आदेश खण्डित होने योग्य है।

दूसरी ओर जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व) द्वारा अवैध अध्यासन समाप्त करने हेतु पारित आदेश को औचित्यपूर्ण बताया गया।

तत्कालीन विद्वान उप जिलाधिकारी द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि उन्होंने निगरानीकर्ता संस्था द्वारा ग्राम सभा एवं अन्य सार्वजनिक भूमि पर कब्जा किये जाने की आख्या के दृष्टिगत उसे हटाये जाने हेतु वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रशासनिक आदेश पारित किया है। मेरी राय में ऐसा प्रशासनिक आदेश विद्वान उप जिलाधिकारी द्वारा पारित किया जा सकता था परन्तु आक्षेपित आदेश के अंतिम वाक्य में जिस प्रकार की अपेक्षा की गई है उससे यह आदेश आज्ञापक (mandatory) एवं अन्तिम हो गया है क्योंकि अपेक्षा की गई है कि एक सप्ताह के अन्तर्गत कब्जा हटाया जाए। कथित अवैध कब्जा को हटाने के लिए

का सीमांकन/चिन्हिकरण तत्कालीन हल्का लेखपाल, राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार द्वारा किया गया और उसका नियमानुसार नजरी नक्शा बनाकर परगनाधिकार, विकासनगर को भेजा गया जिसके आधार पर दिनांक 25–09–2013 को उक्त भूमि को अकृषक भूमि घोषित किया गया तब कभी भी उक्त सीमांकन/चिन्हीकरण में कोई ग्राम सभा की भूमि निगरानीकर्ता की अवैध अधिपत्य में नही पाई गई। यह कि अचानक दिनांक 18–03–2015 को हल्का लेखपाल श्री रविपाल धानिया, राजस्व निरीक्षक, झाझरा, श्री मेनपाल सैनी निगरानीकर्ता के विद्यालय में आये और निगरानीकर्ता के प्रबन्धक को यह बताया कि उप जिलाधिकारी, विकासनगर ने अपने आदेश दिनांक 13–03–2015 से निगरानीकर्ता की भूमि के कुछ खसरा नम्बरों की जांच–पड़ताल की जो चारदीवारी के अन्दर स्थित हैं, में उन्हें निम्न निर्देश दिये हैं:–

"आपको निर्देशित किया जाता है कि मौके पर सरकारी ग्रामसमाज की भूमि को चिन्हित कर भूमि की स्पष्ट पैमाइश/चौहदी स्पष्ट करवायें। यह भी स्पष्ट करें कि गोल्डन फोरेस्ट की मौके पर चौहदी क्या है एवं उसकी मौके पर स्थिति/स्वरूप क्या है। यही कार्य दिनांक 13–03–2015 तक पूर्ण कर, की गई कार्यवाही की आख्या अधोहस्ताक्षरित के समक्ष प्रस्तुत करें"।

यह कि दिनांक 06–04–2015 को तहसीलदार, विकासनगर से निगरानीकर्ता को सूचित किया गया कि उप जिलाधिकारी, विकासनगर द्वारा निगरानीकर्ता के विरूद्ध बेदखली का एक आदेश पारित किया गया है और उसकी चारदीवारी में ग्राम सभा में कुछ भूमि बताते हुए उसके कब्जों का हटाने के आदेश पारित हुए हैं।

यह कि इस प्रकार परगनाधिकारी, विकासनगर का उक्त तथाकथित बेदखली आदेश दिनांक 04–04–2015 पारित कर उस क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है जो कि उसमें निहित नही है। उप जिलाधिकारी, विकासनगर को बेदखली का आदेश जारी करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही था एवं उन्हें केवल जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 122बी नियम 115सी एवं धारा 209 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत ही वैधानिक कार्यवाही कर निगरानीकर्ता को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर किसी भूमि से बेदखल करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त था जो उन्होंने नही किया। तद्नुसार आक्षेपित आदेश सव्यय निरस्त करने का प्रार्थना की गई है।

इस स्तर से संगत पत्रावली अभियाचित की गई एवं तत्कालीन उप जिलाधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया।

उप जिलाधिकारी, विकासनगर द्वारा प्रेषित पत्रावली एवं इस न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि उप जिलाधिकारी, विकासनगर द्वारा राजस्व उप निरीक्षक, झाझरा, क्षेत्रीय लेखपाल, सभावाला एवं क्षेत्रीय लेखपाल पौंधा को अपने आदेश पत्रांक दिनांक 13–03–2015 के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि क्षेत्रीय लेखपाल सिंहनीवाला की जांच आख्या कि रीजन एजुकेशनल सोसायटी शीशमबाड़ा की चारदीवारी के अन्तर्गत खसरा नम्बरान–228/0.015 है0, 229ग/0.040 है0, 231क/0.020 है0/236ख/0.005 है0, 248च/0.073 है0, 254ग मि0/0.202 है0, बंजर झाड़ी खाते के तथा खसरा नं0–230क/0.030है0, 235ख मि0/0.007 है0, 236ग/0.010 है0, 237ग/0.02 है0, 238क/0.010 है0, 240ख/0.058 है0, 248क/0.038 है0 गूल के खाते के खसरा नं0–232ख/0.040 है0 नदी खाते पर तथा खसरा नं0–248ड़ मि0/0.315 है0 तथा खसरा नं0–231ख/0.030 है0, 233/0.020 है0 भूमि के सम्बन्ध में मौके पर सरकारी /ग्राम समाज की भूमि को चिन्हित कर भूमि की समस्त पैमाइश कर एवं गोल्डन फोरेस्ट की भूमि की चौदही की स्थिति स्पष्ट करते हुए उसकी स्थलीय स्वरूप को स्पष्ट किया करें।

सम्बन्धित राजस्व उपनिरीक्षकों एवं राजस्व निरीक्षक की आख्या दिनांक 18–03–2015 के अनुसार स्थल की स्थिति इस प्रकार दर्शायी गई है खसरा नं0–220, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235 (आंशिक) , 236, 237(आंशिक), 238, 240, 247(आंशिक),

किसी अग्रेत्तर कार्यवाही की अपेक्षा नही की गई है। ऐसा आदेश उसी स्थिति में पारित किया जा सकता था जबकि निगरानीकर्ता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का एवं उसके द्वारा किये गये कथित कब्जे के सम्बन्ध में उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया होता जो कि अन्तर्निहित प्रकरण में नही किया गया है।

ग्राम सभा अथवा अन्य सार्वजनिक भूमि पर किये गये अवैध अध्यासन के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत प्राविधान उपलब्ध हैं। ऐसे प्राविधानों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी विधिक कार्यवाही कर सकता है। जैसा कि उप जिलाधिकारी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में भी कहा गया है कि उनके द्वारा तहसीलदार, विकासनगर को अवैध अध्यासन की कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रारम्भ की जाने वाली न्यायिक कार्यवाही से सम्बन्धित प्रशासनिक आदेश ही पारित किया गया है।

आलोच्य प्रकरण में की गई कार्यवाही को संगत अधिनियम के अन्तर्गत की गई कार्यवाही की संज्ञा नही दी जा सकती है। न्यायिक, अर्द्धन्यायिक एवं यहां तक कि प्रशासनिक आदेशों को पारित करने से पूर्व हितबद्ध पक्षों को पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त के आलोक में आक्षेपित आदेश खण्डित होने योग्य है परन्तु जैसा कि प्रकरण में सम्बन्धित राजस्व निरीक्षकों/उपनिरीक्षक द्वारा आख्या प्रस्तुत की गई हैं कि निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम सभा व अन्य सार्वजनिक भूमि पर अवैध अध्यासन किया गया है, के दृष्टिगत धारा 122बी ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत अविलम्ब कार्यवाही प्रारम्भ एवं सम्बद्ध पक्षों का सुनकर विधिसमत् आदेश पारित किया जाना आवश्यक है।

आदेश

निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अवर न्यायालय का आदेश दिनांक 04–04–2015 खण्डित किया जाता है। सम्बन्धित राजस्व निरीक्षकों/उप राजस्व निरीक्षक की आख्या दिनांक 18–03–2015 का वैधानिक संज्ञान लेकर धारा 122बी ज0वि0अधि0 एवं अन्य संगत विधियों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही सम्बद्ध पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसमत् आदेश पारित किया जाए।

3/04/16
(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)

आज दिनांक 03–02–216 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

3/04/16
(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)